FAX/email

अतिआवश्यक

**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(अनुभाग–3)**

क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/वाकायो /2013 जयपुर, दिनांक : 9 DEC 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2015–16 के अनुमोदन के संबन्ध में।**

संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 16.07.2014, 25.07.2014, 29.10.2014 एवं 19.11.2014**

महोदय,

विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 19.11.2014 द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस वर्ष राज्य में **पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव होने के कारण महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत तैयार किये जा रहे वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2015–16 की कार्यवाही 01 दिसम्बर, 2014 तक आवश्यक रूप से पूर्ण** कर ली जावे परन्तु राज्य स्तर से की जा रही समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि अभी तक अधिकांश जिलों में अनुमोदन की कार्यवाही नही की जा सकी है। जिलों द्वारा यह भी बताया गया है कि माननीय जिला प्रमुख महोदय को बैठक आयोजन की तिथि निर्धारित किये जाने के निवेदन के उपरान्त अपरिहार्य कारणों से तिथि का निर्धारण नही किया जा पा रहा है।

इस संबन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी योजना के दिशा निर्देश 2013 के बिन्दु संख्या 6.6 (V) का अवलोकन करे जिसमें वर्णित है कि "**जिला पंचायत, जिला वार्षिक विकास योजना और श्रम बजट को प्रस्तुत किये जाने के 15 दिवस के भीतर अर्थात 01 दिसम्बर तक अनुमोदित करेगा, ऐसा नही किये जाने पर अनुमोदित किया गया मान लिया जायेगा**"(प्रति संलग्न)।

अतः दिशा निर्देशों के उक्त प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही करते हुए योजनान्तर्गत निर्मित किये गये वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2015–16 के अनुमोदन की कार्यवाही 15 दिसम्बर, 2014 तक आवश्यक रूप से सम्पादित की जावे। **ताकि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने से पूर्व यह कार्यवाही सम्पादित** की जा सके। कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

**भवदीय**

**(संजीव सिंह ठाकुर)**
**शासन सचिव ग्रावि एवं आयुक्त, ईजीएस**

**संलग्नः** उपरोक्तानुसार।

**प्रतिलिपिः**

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर/बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

**परि.निदे.एव उप सचिव, ईजीएस**

करने की तारीख निर्धारित करने से यदि आवश्यकता पड़ती है, तो चालू वर्ष के लिए संशोधित श्रम बजट तैयार करने में भी मदद मिलेगी। इससे संकट के समय परिवारों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि पलायन पर निर्णय सामान्यतः बरसात के मौसम में लिए जाते हैं। समय पर कार्य दिए जाने की गारंटी न दिए जाने के कारण कई लोगों के खरीफ फसल की कटाई के बाद पलायन करने की संभावना होती है। इसलिए, ग्राम पंचायत के लिए यह जरूरी है कि खरीफ फसल की कटाई से काफी पहले संभावित कामगारों को उपलब्ध रोजगार और इस रोजगार के समय की जानकारी दें। कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि (i) ग्राम सभा की बैठकों का पंचायत–वार कैलेंडर सही समय पर तैयार कर लिया जाता है और (ii) इस प्रयोजन के लिए ग्राम सभा की बैठकें 15 अगस्त को आयोजित की जाती हैं।

ii) लाइन विभाग, जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत इत्यादि सहित सभी कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना सूची में शामिल करने के लिए अपनी परियोजनाओं की सूची संबंधित ग्राम पंचायत को प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त से काफी पहले भेजेंगी। इससे ग्राम पंचायत को वार्षिक योजना को अनुमोदित करने के प्रयोजन से आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली योजना में इनके कार्यों को शामिल करने में मदद मिलेगी।

iii) ग्राम सभा की बैठक में, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई योजना पर चर्चा की जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो ग्राम पंचायतें योजना को परिशोधित करेंगी ताकि उसे ग्राम सभा के निर्णय के अनुरूप बनाया जा सके। इस तरह तैयार की गई संशोधित योजना को ग्राम सभा द्वारा एक प्रस्ताव के रूप में अनुमोदित किया जाएगा। जिस प्राथमिकता क्रम में कार्य शुरू किए जाएंगे उसका भी उल्लेख ग्राम सभा के प्रस्ताव में किया जाना चाहिए।

## 6.6 ब्लॉक और जिला स्तर पर वार्षिक योजनाओं तथा श्रम बजटों का समेकन

i) ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत श्रम बजट के साथ अपनी वार्षिक योजना को ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्रति के साथ कार्यक्रम अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगी। कार्यक्रम अधिकारी निम्न कार्य करेगा:–

   क. महात्मा गांधी नरेगा में उल्लिखित अनुमेय कार्यों की सूची से ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं की संवीक्षा।

   ख. यह जांचेगा कि क्या ग्राम पंचायत के लिए वार्षिक योजना में शामिल करने हेतु प्रस्तावित कार्यों की सूची के लिए मजदूरी–सामग्री अनुपात अधिनियम और अनुसूची की जरूरतों को पूरा करता है या नहीं।

   ग. ब्लॉक के भीतर के सभी कार्यों को मिलाना, और

   घ. 15 सितम्बर तक ब्लॉक पंचायत के समक्ष ब्लॉक योजना प्रस्तुत करना।

ii) ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगी। यदि प्रस्ताव अधिनियम के मानदण्डों के भीतर नहीं है अथवा तकनीकी रूप से अव्यवहार्य प्रतीत होता है, तो कार्यक्रम अधिकारी प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां लिखेगा/लिखेगी और फिर प्रस्तावों के समेकित विवरण के साथ 15 सितम्बर तक ब्लॉक पंचायत में जमा करेगा। ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्य को अस्वीकार नहीं करेगी, यदि वह अधिनियम के मानदण्डों के भीतर है। यदि वह अधिनियम के मानदण्डों के बाहर है, तो उसे ग्राम पंचायत को इस अनुरोध के साथ लौटाया जाएगा कि वह महात्मा गांधी नरेगा के उपबंधों के अनुसार फिर से प्रस्ताव तैयार करे।

iii) ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक स्तरीय वार्षिक विकास योजना तैयार और समेकित करने के लिए ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों को स्वीकार करते समय ग्राम पंचायत द्वारा दर्शाई गई प्राथमिकता को बरकरार रखेगी।

iv) उसके बाद ब्लॉक पंचायत जिला पंचायत को प्रत्येक वर्ष 2 अक्तूबर तक वार्षिक विकास योजना प्रस्तुत करेगी जिसके न किए जाने पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत योजना को अनुमोदित हुआ मान लिया जाएगा।

v) जिला कार्यक्रम समन्वयक निम्न कार्य करेगा:

   क. महात्मा गांधी नरेगा में उल्लिखित अनुमेय कार्यों की सूची से ब्लॉक वार्षिक विकास योजना कार्यों की संवीक्षा;

   ख. जिला के भीतर के सभी कार्यों को जिला वार्षिक विकास योजना में मिलाना;

   ग. यह सुनिश्चित करना कि जिला वार्षिक योजना में सभी पंचायतों में सभी मौसमों में काम की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में योजनाएं हैं;

   घ. जिला पंचायत के समक्ष 15 नवम्बर तक जिला वार्षिक विकास योजना और जिला श्रम बजट प्रस्तुत करना।

   जिला पंचायत, जिला वार्षिक विकास योजना और श्रम बजट को प्रस्तुत किए जाने के 15 दिनों के भीतर अर्थात 1 दिसम्बर तक अनुमोदित करेगा, ऐसा नहीं किए जाने पर उसे अनुमोदित किया गया मान लिया जाएगा।

vi) जिला पंचायत द्वारा श्रम बजट को अनुमोदित किए जाने के बाद (i) रोजगार उपलब्ध कराए जाने वाले परिवारों की संख्या (ii) सृजित किए जाने वाले श्रमदिवस, (iii) कार्यों पर अनुमानित व्यय, और (iv) शुरू किए जाने वाले कार्यों की सूची के माहवार अनुमान को ग्राम पंचायत–वार अलग–अलग किया जाएगा और आंकड़ा प्रविष्टि के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को